

प्रश्नांश- 'क' जिला / जनपद / तहसील / ग्राम स्तरीय विभिन्न विभागों के शासकीय अधिकारियों द्वारा थाने में विभागीय रूप से दिये गये आवेदन संबंधी जानकारी जिला-खरगोन(वर्ष 2011 से 2014 तक) परिशिष्ट "अ"

| क्र. थाना | आवेदक का नाम व पद | आरोपी नाम पता | आवेदन का दिनांक | विषय | अप.क्र. / धारा | गिर. आरोपी संख्या |
|-----------|---|---|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 कसरावद | डॉ. कलम पिता बिसनसिंह जाधव उम्र 56 साल नि. शासकीय अस्पताल.कसरावद | 01.अशोक पिता सुरेश पाटीदार उम्र 28 साल नि. वार्ड क्रं. 9कसरावद 02.लखन पिता कालूराम भालसे उम्र 24 साल नि. वार्ड क्रं. 4कसरावद 03.लल्ली पिता संतोष पाटीदार उम्र 28 साल नि. वार्ड क्रं. 9पाटीदार मोहल्ला कसरावद। 04.फफइरोज पिता छोटू खां उम्र 32 साल नि. वार्ड क्रं. 2 कसरावद | 10.03.14 | घटना दिनांक समय को आरोपीगण एक राय होकर आये डॉ.कमल जाधव को शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाई व अश्लील गालियाँ दी एवं उनके निजी वाहन तथा मकान की खिड़की में तोड़ फोड़ कर नुकसान पहुँचाया। | 114 / 14 धारा 353,147, 294,427 भादवि | सभी 04 आरोपी गिरफ्तार |
| 2 गोगावां | रविन्द्र पिता श्री नंदराम भालसे 44 वर्ष निरीक्षक डाक संभागीय कार्यालय खंडवा | कमल पिता मांगीलाल सोनी 40 वर्ष नि डाकपाल मोहम्मदपुर | 27.04.14 | 45000 रु का गबन करने बाबद | 262 / 14 धारा 420,409 भादवि | आरोपी गिरफ्तार |

P.B. Pant
1/ कसरावद आधकार

अध्य प्रदेय धारक,
पु (प्रतिष्ठ) विभाग, बी (1),
खंडवा, खंडवा.

Handwritten signature and stamp at the top right of the page.

| | | | | | | |
|---|--|--|----------|--|---|-----------------------------|
| 3 | श्री ताराचन्द पिता भंवरलाल मेहरा 50 साल प्रमारी जिला कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास सेवा खरगोन | 1.शान्तिबाई पति जालमसिंग चौहान 55 साल परियोजना अधिकारी भगवानपुरा हाल मुकाम जिला कार्यालय एकीकृत बाल विकास खरगोन 2. दुर्गालाल पिता नरसिंग डाबर 40 साल निवासी बड़ी डाबर फाल्या 3. चन्द्रसिंग पिता रूपसिंग वास्कले 36 साल निवासी पीपलझोपा 4.बाबूलाल मालवीय पूर्व जनपद पंचायत सीईओ ब्रज विहार कालोनी खरगोन | 02.09.14 | आंगनवाडी भर्ती प्रक्रिया मे अनियमितता करने एवं कूट रचित हस्ताक्षर कर भर्तियां कराने बाबत। | 250 / 14 धारा 420,467,468, 469,471 भादवि. | सभी 04 आरोपी गिरफ्तार |
| 4 | राजेंद्र पिता देवनाथ दीक्षित मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोगावां | 1.श्री एस के दुबे पिता संतोष दुबे 55 साल निवासी खरगोन अवली 2. भारत पिता जामसिंग मोरे 25 साल उपयंत्री गोगावां 3.मनोज पिता किशन पवार 48 साल संविदा सचिव जगन्नाथपुरा 4.हुकुमचन्द पिता मांगीलाल 29 साल 5. रेशमाबाई पति कालू भील 45 साल सरपंच ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा | 04.10.14 | शासकीय कार्य मे गबन करने बाबत | 274 / 14 धारा 406,409,420, 467,468,471 भादवि. | सभी 05 आरोपी गिरफ्तार |

P. B. Singh

अनुमान आखण्डार
जख प्रदेश कालन.
पह (प्रतिष्ठ) विभाग, बी (1),
बंदाब, बोरख.

A. L. J. C. D.
Madhya Pradesh
BHO PAL

परिशिष्ट "ब"

शासकीय अधिकारियों द्वारा थाने में विभागीय रूप दिये गये आवेदन पत्र जिनमें एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई है की जानकारी (वर्ष 2011 से 2014 तक)

| थाना | आवेदक का नाम व पद | अनावेदक का नाम पता | आवेदन का दिनांक | विषय | अपराध पंजीबद्ध नहीं करने का कारण |
|------|--|---|--------------------------|---|---|
| बरूड | राजेन्द्र शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खरगौन | महादेव पिता वंकराव चतुर्वेदी उम्र 46 साल सचिव ग्राम पंचायत बरूड | 19.12.2014 27.04.2015 | सामुदायिक भवन की राशि 5 लाख रु का गबन करने बाबद | मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खरगौन द्वारा थाना प्रभारी बरूड को संबोधित दो आवेदन पत्र दिनांक 19.12.2014 एवं दिनांक 27.04.2015 को प्रस्तुत किये थे जो शासकीय धनराशि कुल 6 लाख रु. का दुरुपयोग करने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज किये जाने के विषय में थे। आवेदन पत्रों की जांच थाना बरूड के सहायक उप निरीक्षक श्री रामनरेश मिश्रा द्वारा पूर्ण की गई तथा जांच में शासकीय राशि का गबन होना नहीं पाया गया। पुलिस अधीक्षक खरगौन द्वारा इस जांच प्रतिवेदन को अपूर्ण मानते हुए आदेश क्रमांक / पु0अ0/खर0/136/16 दिनांक 13.02.2016 द्वारा थाना प्रभारी बरूड को प्रकरण में पुनः बारीकी से जांच अगामी 5 दिन में पूर्ण कर वैधानिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये हैं तथा आदेश क्रमांक / पु0अ0/खर0/पीए0/137/16 दिनांक 13.02.2016 तत्कालीन थाना प्रभारी बरूड एवं जांचकर्ता अधिकारी सहायक उप निरीक्षक मिश्रा के द्वारा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भीकनगाव को प्राथमिक जांच 5 दिवस में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। |



चतुर्नारायण आश्रम
राज्य प्रदेश काजल,
ग्रह (असिच) विभाग, सी (1),
बलासपुर, बिलासपुर.